

५
बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं०सं०-02 / एम०एम०(बा०)-04 / 17-.....५३२...../एम०, पटना, दिनांक 20.1.18
प्रेषक,

E-mail

विश्वजीत दौ,
उप निदेशक (मु०)।
सेवा में,
सहायक निदेशक,
जिला खनन कार्यालय, रोहतास।

विषय:- बालूघाटों के सीमांकन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पुनरीक्षण वाद संख्या-
2/2018 एवं अन्य वादों में खान आयुक्त न्यायालय द्वारा मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम
प्रा०लि० द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त घाटों के लिए नापी कराते हुए सीमांकन कराने का
आदेश दिया गया है।

अतः सभी पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त घाटों का सीमांकन करा प्रतिवेदन फोटोग्राफ
के साथ दिनांक 23.01.2018 तक अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

उप निदेशक (मु०)।

ज्ञापांक:-.....५३२...../एम०, पटना, दिनांक 20.1.18.....

प्रतिलिपि:-मेसर्स आदित्य मल्टीकॉम प्रा०लि०, C/o-शशि कुमार सिंह, नियर-होटल वन्दना
शिवगंगा, पोल रोड, डेहरी ऑन-सोन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

उप निदेशक (मु०)।